प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-29 योजनान्तर्गत 09 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/36/राज्य परियोजना विभाग/आरआईडीएफ-04/आर.आई.डी.एफ.-29/2023-24, दिनांक 02.06.2023 एवं मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-29 योजनान्तर्गत तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपदों के कुल 09 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत सहित कार्यों की कुल लागत रू0 10,75,74,000/- (रूपये दस करोड़ पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) (जिसमें 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, एक प्रतिशत लेबर सेस व 1.50 प्रतिशत मूल्य ह्रास निधि एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-9 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में रू0 7,27,52,000/-(रूपये सात करोड़ सत्ताई लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई(कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	371/32पीजे, दि0 12.10.2022	रायबरेली	पारी से सलोन ऊँचाहार मार्ग के कि0मी0 5 से खैराबाद खास सम्पर्क मार्ग।	3.10	205.76	17.41	223.17	102.88
2	396/32पीजे, दि0 20.10.2022	प्रयागराज	लाल बाजार असढिया सम्पर्क मार्ग किमी 8 से दांये कोहरान सेवाराम बस्ती(चन्दनहा) सम्पर्क मार्ग।	2.50	152.83	14.13	166.96	122.26
3	391/32पीजे, दि0 20.10.2022	बहराइच	जमुरापुर (राजस्व ग्राम मधावपुर) सम्पर्क मार्ग।	1.600	148.47	13.73	162.20	118.78
4	329/32पीजे, दि0 24.09.2022	रायबरेली	मौरांवा-बछरावां-महराजगंज- निगोहा मार्ग(प्रजिमा 102सी) किमी 17 से कोइली खेड़ा (कोटाली खेड़ा) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.80	126.04	11.54	137.58	100.83
5	396/32पीजे, दि0 20.10.2022	प्रयागराज	किशोरा लाक्षागृह मार्ग के किमी 4 से बायें ठाकुद बस्ती (इटिहा इब्राहिमपुर) सम्पर्क मार्ग।	1.50	91.83	8.40	100.23	73.46
6	329/32पीजे, दि0 24.09.2022	रायबरेली	बहराइच बांदा मार्ग (राज्य मार्ग सं. 13) के किमी 166 से पूरे श्याम खेड़ा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.03	75.75	6.94	82.69	60.60
7	346/32पीजे, दि0 30.09.2022	अयोध्या	डडवा सम्पर्क मार्ग।	1.00	66.73	6.11	72.84	53.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई(कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	437/32पीजे, दि0 15.11.2022	सुल्तानपुर	तिवारीपुर(चन्दौर) सम्पर्क मार्ग।	1.00	64.25	5.88	70.13	51.40
9	429/32पीजे, दि0 07.11.2022	जौनपुर	थानगद्दी चन्दवक के किमी 3 से निकलकर बराई(भोदिया) सम्पर्क मार्ग।	1.075	54.91	5.03	59.94	43.93
						योग	**1075.74**	**727.52**

(1) प्रश्नगत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्यों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय(6.875 प्रतिशत) की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी। इस संबंध में वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तवित रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नाबार्ड की शर्तों एवं योजना की गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है तो उसके निरस्तीकरण का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई बसावट पूर्व से ही किसी मार्ग से जुड़ा हुआ है तो उस पर द्विरावृत्ति का कार्य होता है तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(14) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,27,52,000 (रुपये सात करोड़ सत्ताईस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376600 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-185-X-2023-24, दिनांक- 19 जून, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in